



न्यायालय उपजिलाधिकारी बर्ही

बापस 02

देवे-डिस्ट्रिक्ट

बनाम

कमलधारा 80

शगवे-डिस्ट्रिक्ट

मौजा - शकलवांगर

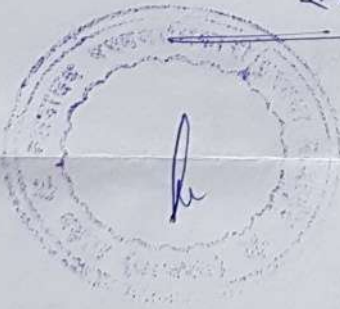
नकल

स्वातंत्र्य सभा

नकल

433
21/5/18

आदेश दिनांक 28/12/18



क/12/7

**आदेश पत्रक**

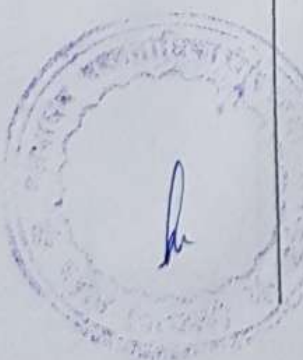
न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मेरठ, जनपद : बागपत, तहसील : बडौत
वाद संख्या :- 03788/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201811080403788
देवेन्द्र सिंह बनाम रागवेन्द्र आदि
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा-शबगा बांगर

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी/वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शबगा परगना कोताना तहसील बडौत जनपद बागपत के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2018 पर संस्थित हुई। प्रार्थी/वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961 अ रकबा 3.9250 है व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है लगानी 188.38 पैसे यानि दोनो खातो का कुल रकबा 6.0210 है लगानी 288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत जनपद बागपत के मालिक, स्वामी, काबिज कायम है। विवादित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3, 1/3 भाग है। वादी ने अपने 1/3 भाग यानि रकबा 2.0070 है लगानी 96.02 पैसे में अपनी आबादी/औद्योगिक कार्य हेतु फैक्ट्री बना ली है मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और मौके पर चारदीवारी भी करा रखी है। वादी अपने हिस्से की उक्त भूमि क्षेत्रफल 2.0070 है स्थित मौजा शबगा बांगर को अकृषिक घोषित कराना चाहता है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, दो किता फर्द खतौनी वर्ष 1421 ता 1426 फसली खाता संख्या 00367 व 00366 प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बडौत से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बडौत द्वारा दिनांक 01.11.2018 को आख्या उपलब्ध करायी गयी। तहसीलदार बडौत द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में वर्णित भूमि का सीमांकन न दर्शाये जाने के कारण सीमांकन के संबंध में आख्या प्राप्त की गयी। दिनांक 16.11.2018 को तहसीलदार बडौत द्वारा सीमांकन के संबंध में आख्या उपलब्ध करायी गयी। तहसीलदार बडौत की आख्या में उद्घोषणा शुल्क एवं कोर्ट फीस स्टाम्प का उल्लेख न होने के कारण पुनः आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बडौत द्वारा दिनांक 05.12.2018 को मूल्यांकन के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार बडौत द्वारा उपरोक्त दिनांक में उपलब्ध करायी गयी आख्याओं में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961, अ रकबा 3.9250 है व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है लगानी 188.38 पैसे यानि दोनो खातो का कुल रकबा 6.0210 है लगानी 288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत



812/2



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : मेरठ, जनपद : बागपत, तहसील : बडौत

वाद संख्या :- 03788/2018

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201811080403788

देवेन्द्र सिंह बनाम रागवेन्द्र आदि

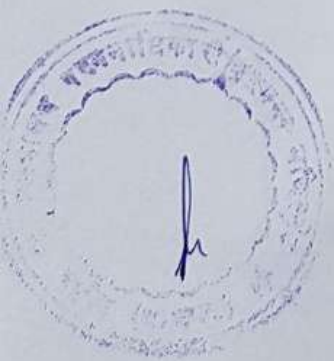
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

जनपद बागपत के मालिक, स्वामी, काबिज खातेदार ब्रजपाल, देवेन्द्र सिंह व रागवेन्द्र सिंह पुत्रगण महेन्द्र निवासी शबगा है इसमें प्रार्थी का 1/3 भाग रकबा 2.0070 है0 है जिसमें भट्टे का ग्रेड, दफ्तर व मजदूरो के आवास बने हुए है। मौके पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह भूमि भट्टा व्यवसाय के रूप में प्रयोग हो रही है। इसके अलावा उक्त में कोई अन्य व्यवसाय या कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार बडौत द्वारा खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है0, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961 अ रकबा 3.9250 है0 व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है0 यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है0 लगानी 188.38 पैसे यानि दोनो खातों का कुल रकबा 6.0210 है0 लगानी 288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत जनपद बागपत में वादी के 1/3 भाग यानि 2.0070 है0 के संबंध में धारा 80 उपरो राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 85(2) के अन्तर्गत निर्धारित सर्किल रेट 51,00,000/- (इक्यावन लाख रुपये) प्रति हैक्टेयर की दर से कुल रकबा 2.0070 है0 की कीमत 1,02,35,700/- (एक करोड दो लाख पैंतीस हजार सात सौ रुपये) की दर से एक प्रतिशत निर्धारित शुल्क 1,02,357/- (एक लाख दो हजार तीन सौ सत्तावन रुपये) /- रुपये तथा कोर्ट फीस स्टाम्प अंकन 1,02,357/- रुपये जमा करने पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के साथ नक्शा नजरी व फोटोग्राफ्स संलग्न किये हैं।

दिनांक 22.11.2018 को प्रतिवादी ब्रजपाल व रागवेन्द्र पुत्रगण महेन्द्र सिंह निवासी गण ग्राम शबगा द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के संबंध में सहमति स्वरूप अपन शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये।

तहसीलदार बडौत की आख्या आने के उपरान्त उपरोक्तानुसार निर्धारित उद्घोषणा शुल्क एवं कोर्ट फीस स्टाम्प जमा करने हेतु वादी को निर्देशित किया गया। वादी द्वारा 1,02,357/- रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प एवं 1,02,357/- रुपये का चालान प्रस्तुत किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है0, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961 अ रकबा 3.9250 है0 व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है0 यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है0 लगानी 188.38 पैसे यानि दोनो खातों का कुल रकबा 6.0210 है0 लगानी



812/3



आदेश पत्रक

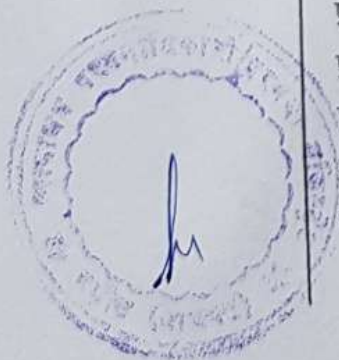
**न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मेरठ, जनपद : बागपत, तहसील : बडौत
वाद संख्या :- 03788/2018**

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201811080403788

देवेन्द्र सिंह बनाम रागवेन्द्र आदि

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत जनपद बागपत जिसमें वादी का 1/3 भाग यानि 2.0070 है० रकबा है। तहसीलदार बडौत द्वारा आख्या दी गयी है कि उक्त हिस्से में भट्टे का ग्रेड, दफ्तर व मजदूरो के आवास बने हुए है। मौके पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह भूमि भट्टा व्यवसाय के रूप में प्रयोग हो रही है। तहसीलदार बडौत द्वारा खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है०, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961 अ रकबा 3.9250 है० व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है० यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है० लगानी 188.38 पैसे यानि दोनों खातों का कुल रकबा 6.0210 है० लगानी 288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत जनपद बागपत में वादी के 1/3 भाग यानि 2.0070 है० के संबंध में धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 85(2) के अन्तर्गत निर्धारित सर्किल रेट 51,00,000/- (इक्यावन लाख रुपये) प्रति हैक्टेयर की दर से कुल रकबा 2.0070 है० की कीमत 1,02,35,700/- (एक करोड़ दो लाख पैंतीस हजार सात सौ रुपये) की दर से एक प्रतिशत निर्धारित शुल्क 1,02,357/- (एक लाख दो हजार तीन सौ सत्तावन रुपये) तथा कोर्ट फीस स्टाम्प अंकन 1,02,357/- रुपये जमा करने पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रस्तुत की है। सहखातेदार ब्रजपाल व रागवेन्द्र पुत्रगण महेन्द्र सिंह निवासी गण ग्राम शबगा द्वारा भी शपथ पूर्वक कथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी ने फैंकट्री बना ली है तथा इसमें कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है और साथ ही वादी के भाग को अकृषिक घोषित किये जाने में अपनी सहमति स्वरूप दिनांक 22.11.2018 को शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। वादी द्वारा कोर्ट फीस स्टाम्प अंकन 1,02,357/- रुपये एवं निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क अंकन 1,02,357/- रुपये का चालान बैंक में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार बडौत की आख्या एवं संलग्न फोटोग्राफ्स से यह स्पष्ट हो रहा है कि मौके पर प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि भट्टा व्यवसाय के रूप में प्रयोग हो रही है। अतः खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है०, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961 अ रकबा 3.9250 है० व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है० यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है० लगानी 188.38 पैसे यानि दोनों खातों का कुल रकबा 6.0210 है० लगानी 288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत



★

28/12/18



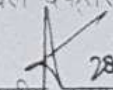
आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : मेरठ, जनपद : बागपत, तहसील : बडौत
 वाद संख्या :- 03788/2018
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201811080403788
 देवेन्द्र सिंह बनाम रागवेन्द्र आदि
 अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

जनपद बागपत में वादी के 1/3 भाग यानि 2.0070 है० को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार बडौत की आख्या दिनांक 01.11.2018 व 05.12.2018 स्वीकार की जाती है। खाता संख्या 366 के खसरा नम्बर 961/2 रकबा 2.0070 है०, खाता संख्या 367 खसरा संख्या 961 अ रकबा 3.9250 है० व खसरा नम्बर 961 ब रकबा 0.0890 है० यानि कुल नम्बरान 02 कुल रकबा 4.0140 है० लगानी 188.38 पैसे यानि दोनो खातों का कुल रकबा 6.0210 है० लगानी 288.08 पैसे स्थित मौजा शबगा बांगर परगना कोताना तहसील बडौत जनपद बागपत में वादी के 1/3 भाग यानि 2.0070 है० जिसके पूरब में रागवेन्द्र पुत्र महेन्द्र, पश्चिम में उदयवीर पुत्र इलम सिंह, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में रास्ता एवं विपिन पुत्र सुरेशपाल व शिवकुमार पुत्र राममेहर के खेत हैं को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।
 दिनांक: 28 दिसम्बर, 2018 ई०।


 (आशीष कुमार)
 उपजिलाधिकारी,
 बडौत।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 28 दिसम्बर, 2018 ई०।


 (आशीष कुमार)
 उपजिलाधिकारी,
 बडौत।



13-001-
 21-5-19
 21-5-19
 21-5-19

मह्य प्रतिबिम्ब
